<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 06/2021

1 श्रीमती सुनिता पत्नी ओमप्रकाश उम्र 41 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल।
2 खम्बाराम पुत्र मानाराम।
2/1 छोटी पत्नी खम्बाराम।
2/2 नेकीराम पुत्र खम्बाराम।
2/3 किशनलाल पाुत्र खम्बाराम।
2/4 लीलाराम पुत्र खम्बाराम।
2/5 ओमप्रकाश पुत्र खम्बाराम।
2/6 मंगलचन्द पुत्र खम्बाराम।
2/7 ऑची पुत्री खम्बाराम।
2/8 तीजा पुत्री खम्बाराम।
3 जयराम पुत्र मानाराम।
4 गणेश कुमार पुत्र रामूराम।
5 श्रीमती आंची देवी बेवा रामूराम।
6 कालूराम पुत्र रामूराम।
7 संजय पुत्र रामूराम।
8 संतोष पुत्री रामूराम समस्त जाति हरिजन निवासीगण मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 तहसीलदार तहसील कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

10 पटवारी पटवार हल्का मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र बाज दायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम
9 सीपीसी अपील निर्णय आदेश दिनांकित 07.06.16
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
प्रकरण संख्या 361/2012 ओमप्रकाश बनाम सुनिता आदि

उपस्थिति :

1. श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 04.10.2021

यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में लम्बित बाजदायरी संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 के विरूद्व धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील लम्बित थी। यह अपील अदम हाजरी में खारिज हो गई इस आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में बाजदायरी आवेदन संख्या 01/2019 प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 18.03.2021 को पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इसके विरूद्व यह बाजदायरी आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकी। अपीलांट के वकील भी दीगर कार्य में व्यस्त होने से न्यायालय में उपस्थित नही हो सकें। इस कारण बाजदायरी आवेदन अदम हाजरी में खारिज किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद बाजदायरी आवेदन शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत है। न्यायाहित में आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नही है। अपीलांट की अपील अदम हाजरी में खारिज होने पर बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। बाजदायरी आवेदन भी विचाराधीन आदेश से अदम हाजरी में खारिज किया गया है। यह आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है किन्तु शपथ पत्र से समर्थित नही है। दौराने सुनवाई बाजदायरी आवेदन संख्या 01/2019 कुम्बाराम की मृत्यु हो गई उसके वारिसान को विधि अनुसार रिकार्ड पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाजदायरी आवेदन स्वीकार योग्य नही है। आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नही है। अपीलांट की अपील अदम हाजरी में खारिज होने पर बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। बाजदायरी आवेदन भी विचाराधीन आदेश से अदम हाजरी में खारिज किया गया है। यह आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है किन्तु शपथ पत्र से समर्थित नही है। दौराने सुनवाई बाजदायरी आवेदन संख्या 01/2019 कुम्बाराम की मृत्यु हो गई उसके वारिसान को विधि अनुसार रिकार्ड पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाजदायरी आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर बाजदायरी आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर